न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला—श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :—मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण सं.—268/2012 (RCMS 2012/00005) दायरा दिनाक :— 04.12.2012

1.कालूराम पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगानगर।

— वादी

बनाम

1. नत्थू वल्द लूणा जाति जाट निवासी चक 13 एसपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगानगर।
2. दलूराम पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगनगर।
3. रेशमी देवी
4. गुड्डीदेवी } पुत्रिया श्री मोमनराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. प्रबंधक, स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 09.10.2020

वाद पत्र अर्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—1. श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता :— वादी
2. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता :— प्रतिवादी
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी यह दावा पेश कर निवेदन किया कि रोही सरदारपुरा खर्था में 1.364 हैक. बारानी व खसरा न. 181 में 11.050 हैक. कुल 14.314 हैक. बारानी भूमि में वादी एंव प्रतिवादी नं. 2 ता 4 के नाम खातेदारी है व प्रतिवादी न. 1 के नाम से नत्थूराम पुत्र लूणा चिपते रकबा का काश्तकार के नाम से इसी रोही के खसरा न. 171/2 में 1.328 हैक. व 171/5 में 1.430 हैक. बारानी इस प्रकार कुल 6.034 हैक. भूमि आराजी काश्त के बाद की है। जिसके खातेदारी अधिकार प्रतिवादी न. 1 के नाम खातेदारी हो चुके है वादी के खसरा न. 181 के 11.050 हैक.बारानी भूमि के उतरी सीमा के चिपती भूमि प्रतिवादी न. 1 की खसरा न. 184/5 की 2.532 हैक. बारानी है प्रतिवादी न. 1 चिपती भूमि का फायदा उठाकर उतरी सीमा पर पूर्व पश्चिम तीन चार फुट बाध बना कर कब्जा कर रखा है वादी द्वारा दिनाक 09.10.2012 को पुलिस थाना सूरतगढ़ में प्रतिवादी न. 1 व उसके दो पुत्रो जगमाल व हेतराम पिसरान नत्थू के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुये प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस थानाधिकारी द्वारा दोनो पक्षो के मध्य श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मुकाम सूरतगढ़ के समक्ष इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया प्रतिवादी न. 1 बदमाश किस्म का व्यक्ति है जिसने अपने पुत्रो के साथ मिलकर वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है वादी द्वारा श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ़ से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र भी दिया। जिस पर कार्य करते हुये दिनाक 26.07.2012 को मौका पर निशानदेही दे दी गई। प्रतिवादी न. 1 को पचायती तौर पर समझाया गया कि वादी की खातेदारी भूमि छोड़ देवे तो प्रतिवादी न. 1 पहले तो सहमत हो गया परन्तु दिनाक 25.11.2012 को उसने ऐलानिया धमकी दी की वो कब्जा नही छोड़ेगा प्रतिवादी न. 2 ता 4 सयुक्त आवश्यक पक्षकार है वादी ने यह दावा पेश करके प्रतिवादी न. 1 को वादी के खेत खसरा न. 181 के उतरी सीमा पर 0.622 हैक. पर से बेदखल कर कब्जा दिलाने व नाजायज बाधं तोड़ा जाने को डिक्री का निवेदन किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी न. ने दिनाक 02.08.2013 को जवाब प्रस्तुत नही किया इसलिये प्रतिवादी न. 1 ता 6 का जवाब बद किया गया परन्तु प्रतिवादी न. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र जवाब दावा खुलवाने हेतु पेश करने पर न्यायहित में

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:47:07 IST
Reason: SelfAttested

दिनाक 08.01.2016 को आगामी पेशी पर जवाब दावा पेश करने हेतु प्रतिवादी न. 1 को पाबन्ध किया दिनाक 27.01.2016 को प्रतिवादी न. 1 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिदावा पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी न. 1 के नाम से रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 171/2 में 1.328 हैक. व खसरा न. 171/5 में 1.430 हैक. व खसरा न. 184/4 में 0.544 हैक. व खसरा न. 184/5 में 2.732 हैक. कुल 6.034 हैक. रकबा है। जिस पर जवाब दावा के दिन से 59 वर्ष पूर्व से प्रतिवादी का आराजी काश्त बाद के आवटी की हैसियत से कब्जा है। प्रतिवादी का अपने खुद के रकबा पर कब्जा है वादी के रकबा पर प्रतिवादी न. 1 का कतई कब्जा नही है प्रतिवादी न. 1 के अपने नाम के रकबा पर दो टयूबवैल लगा रखे है तथा वादी का रकबा तो घग्घर फल्ड मे है खसरा न. 181 में कई काश्तकार है वादी का रकबा खसरान. 181 में तरमीम ही नही है वादी प्रतिवादी के खसरा न. 184/4, 184/5 में लगे टयूबवैल व प्रतिवादी न. 1 के रकबा को हड़पना चाहता है जबकि प्रतिवादी न. 1 का रकबा वादी के रकबा की तरफ प्रतिवादी न. 1 के खुद के रकबा पर पिछले 35 – 40 वर्षो से घग्घर फल्ड का पानी ना आये इसलिये डोला बना हुआ है वादी का रकबा घग्घर फल्ड में अवाप्त है घग्घर फल्ड का एक बार पानी आने पर तीन – चार साल तक खत्म नही होता अब वादी गैरकानूनी तरीके से मुझ प्रतिवादी के रकबा में घुसना चाहता है पटवारी हल्का से एकतरफा पैमाईश करवाई है पैमाईश में भी प्रतिवादी न. 1 ने वादी के रकबा पर कब्जा किया है ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नही है सही बात यह है कि रोही सरदारपुरा खर्था के प्रतिवादी न. 1 के रकबा से उतर दिशा में तो पत्थर नम्बर सही मौजूद है तथा इस दिशा में चकबन्दी है परन्तु दक्षिणी दिशा मे कोई पत्थर मौजूद नही है व बिना सही पैमाईश करवाये वादी प्रतिवादी न. 1 के रकबा में घुसना चाहता है वादी के रकबा पर प्रतिवादी न. 1 के रकबा पर कब्जा होने का सवाल ही पैदा नही होता। वादी खसरा न. 181 के रकबा में से घग्घर फल्ड का पानी चलता है इसलिये यह रकबा घग्घर डोब में अवाप्त है, मात्र राजस्व रिकॉर्ड में यह रकबा वादी के नाम है, तथा प्रतिवादी न. 1 ने प्रतिदावा अन्तर्गत धारा 188 – 209 आरटीए में पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी न. 1 का अपने नाम के रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 184 के 0.544 हैक. व खसरा न. 184/5 में 2.532 हैक. रकबा की सीव पर प्रतिवादी न. 1 का डोला बना हुआ है जिस पर वादी दखलदाजी करना चाहता है इसलिये वादी का वाद खारिज कर प्रतिदावा प्रतिवादी स्वीकार कर वादी को पाबन्ध किया जावे कि वो प्रतिवादी के उक्त कुल 6.034 हैक. रकबा में किसी तरह की दखलदाजी ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करवावे। प्रतिवादी न. 5 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर उसके हितो की सुरक्षा रखते हुये निर्णय का निवेदन किया व सरकार की और से जवाब स्टेट प्रस्तुत नही करने पर दिनाक 17.10.2017 को जवाब स्टेट बन्द किया गया।

दावा व जवाब दावा के आधार पर दिनाक 19.01.2018 को निम्न तनकीयात बनाई गई।

तनकी न. 1:– आया वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 का सयुक्त खातें में रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 181 में 11.050 हैक. बारानी खातेदारी भूमि है ? – वादी

तनकी न. 2 :– आया प्रतिवादी न. 1 की जैरवाद भूमि खसरा न. 181 में कोई रकबा नही होने से इस खसरा की भूमि पर काबिज हाकर काश्त करने का अधिकार नही होने से अतिक्रमी की परिभाषा में आता है ? – वादी

तनकी न. 3 :– आया जैरवाद भूमि खसरा न. 181 के उतरी सीमा पर 0.622 हैक. भूमि पर प्रतिवादी न. 1 नत्थूराम द्वारा नाजायज कब्जा किये होने से बेदखल किये जाने योग्य है ? – वादी

तनकी न. 4 :– आया प्रतिवादी न. 1 द्वारा वादीगण के खातेदारी रकबा पर कब्जा काश्त नही होने से वाद पत्र झूठा किया हुआ होने से खारिज किये जाने योग्य है ? – प्रतिवादीगण

तनकी न. 5 :–अन्य अनुतोष ....

परन्तु प्रतिवादी न. 1 के द्वारा आदेश 14 नियम 5 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर दिनाक 04.12.2019 को उभयपक्ष की बहस सुनकर न्यायहित में दो अतिरिक्त तनकीयात बनाई गई। तनकीयात बनाये जाने के बाद वादीगण की ओर से वादी कालूराम व दो स्वतत्र गवाह

मनोज कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:47:07 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 3 पर

रामलाल व जयमल के शपथ पत्र पर साक्ष्य वादी करवाये गये इसी दौरान दिनाक 18.08.2020 को वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी न. 2 दलूराम से उसने कोई अनुतोष नही चाहा इसलिये नाम हटाने का निवेदन किया प्रतिवादी न. 1 की और से निवेदन किया कि प्रतिवादी न. 2 वादी का सगा भाई है वह दिनाक 17.03.2015 को ही फौत हो चुका है वादी ने ना तो उसके वारिसो को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया प्रतिवादी न. 2 के फौत हो जाने पर दावा चलने योग्य नही है उसका नाम तर्क हो जाने योग्य तथा प्रतिवादी न. 1 ने दस्तावेज साक्ष्य जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति व नक्शा तथा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिया पेशकर शामिल पत्रावली किया जाने का निवेदन किया, इस पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनाक 18.08.2020 को प्रतिवादी न. 2 का नाम इस प्रकरण से तर्क किया व नत्थूराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो को शामिल पत्रावली किये गये तथा साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी नत्थूराम के ब्यान **DW-1** व मोहनलाल व धन्नाराम के ब्यान **DW-2** व 3 पेश किये दोनो पक्षो के ब्यानात होने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 181 के उतरी दिशामें प्रतिवादी न. 1 का खसरा न. 184 का खातेदारी रकबा है वह अपने रकबा की आड में वादी के खसरा न. 181 के रकबा पर काबिज है वादी के रकबा पर प्रतिवादी ने डोला बना लिया है तथा वादी के टयूबवैल पर कब्जा कर लिया है
इसलिये वादी को बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जवाब दावा के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा न. 181 मे वादी का सयुक्त खाता में रकबा है सहखातेदार प्रतिवादी न. 2 का नाम तर्क हो गया है खसरा न. 181 में वादी का रकबा ही तरमीम नही है वादी के रकबा पर प्रतिवादी का कब्जा हो इस बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली में मौजूद नही है ना ही मौका पर वादी के रकबा पर प्रतिवादी का कब्जा है। इसलिये वाद वादी खारिज किया जावे व प्रतिदावा स्वीकार कर वादी को पाबन्ध किया जावे कि वो प्रतिवादी के रकबा पर किसी तरह की दखलदाजी ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करवावे तथा कानूनी नजीर **RRD 2014** पेज 274 व **RRT2003 (1)** पेज 125 पेश किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया व दस्तावेजी साक्ष्यो का व मौखिक साक्ष्यो के आधार पर निम्नानुसर तनकीवार निर्णय किया जाता है।

तनकी न. :– 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति के अनुसार रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 180 में 3.264 हैक. रकबा खसरा न. 181 के 11.050 हैक. रकबा में वादी एंव प्रतिवादी न. 2 ता 4 का सयुक्त खाता में वादी एंव प्रतिवादी न. 2 ता 4 का सयुक्त खाता में खातेदारी रकबा है जिससे वादी का 1/4 हिस्सा रकबा है इस प्रकार यह बात साबित है कि वादी खसरा न. 181 के 11.050 हैक. रकबा में 1/4 हिस्से का खातेदार है तथा प्रतिवादी न. 1 के द्वारा वादी के नाम की चालू जमाबन्दी जो दिनाक 18.08.2020 को पत्रावली में शामिल हुई के अनुसार प्रतिवादी न. 2 के दलूराम के फौत हो जाने पर उसके वारिस कमलेश वगैरा के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो गया है तथाप्रतिवादी न. 3 व 4 ने अपने हिस्से की दस्तबरदारी कर दिये जाने से उनका नाम इस जमाबन्दी में से कलमजन हो गया है इसलिये प्रतिवादी न. 2 ता 4 के नाम के खाता में कोई रकबा नही है खसरा न. 181 में 11.050 हैक. रकबा में वादी व दलूराम के वारिस कमलेश कुमार वगैरा पिसरान दलूराम का सयुक्त खाता है इस प्रकार रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 181 में 11.050 हैक. रकबा में वादी 1/2 हिस्सा का सयुक्त खातेदार है वादी अकेला इस खसरे का खातेदार नही है इस तनकी का निर्णय आशिंक रूप से बहक वादी किया जाता है।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

तनकी न. 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 181 में प्रतिवादी का कोई रकबा नही है परन्तु खसरा न. 181 के रकबा पर प्रतिवादी न.1 काबिज हो ऐसा कोई स[illegible]ने पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:47:07 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 4 पर

वादी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वादी का खसरा न. 181 प्रतिवादी न. 1 के खसरा न. 184/4, 184/5 के रकबा से चिपता है वादी ने दिनाक 26.07.2012 को पटवारी हल्का द्वारा की गई पैमाईश की दैनिक डायरी पेश की है। इस डायरी के अनुसार प्रतिवादी न. 1 वादी के रकबा पर काबिज हो ऐसा कोई तथ्य इस रिपोर्ट मे दर्ज नही है। जंहा तक अतिक्रमण का मामला है वादी ने अपने खुद के ब्यानो व रामलाल व जयमल के अनुसार नत्थूराम का रकबा वादी के रकबा से उतराधा है जो चिपता काश्तकार है तथा वादी ने अपने ब्यानो में लिखा है कि नत्थूराम ने डोला बाधं कर अपने रकबा को बचाया है इसके अलावा रामलाल के ब्यानो के अनुसार वादी कालूराम के उतराधा पासा में नत्थूराम की 12 – 13 बीघा जमीन है, तथा राजस्व जमाबन्दी के अनुसार प्रतिवादी न. 1 रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 172/1 में 6.034 हैक का वर्तमान में खातेदार भी है। इस प्रकार वादी द्वारा इस पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया व जिससे की यह साबित हो कि नत्थूराम ने कालूराम की जमीन पर कभी अतिक्रमण किया हो। वादी ने खसरा न. 181 में उसका रकबा कम हो तथा प्रतिवादी न. 1 द्वारा वादी के खसरा न. 181 पर अतिक्रमण ने कब किया। वादी ने यह दावा दिनाक 04.12.2012 को प्रस्तुत किया उसमें लिखा है कि प्रतिवादी न. 1 ने 1 वर्ष पूर्व कब्जा किया है तथा दिनाक 18.01.2019 को शपथ पत्र पेश किया उसमें भी 1 वर्ष पूर्व कब्जा किया दर्शाया है इस रकबा की पैमाईश उभयपक्ष की उपस्थिती में की गई हो ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली में मौजूद नही है इसलिये वादी के रकबा पर प्रतिवादी न. 1 का अतिक्रमण साबित नही हो रहा है, वादी इस तनकी को पूर्णतया साबित नही कर पाया है इसलिये इस तनकी का निर्णय खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी न. 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने दावा में खसरा न. 181 के 0.622 हैक. रकबा पर प्रतिवादी का नाजायज कब्जा मानकर उसे बेदखल करने का निवेदन किया है। जबकि वादी ने यह भी स्वीकार किया कि उतरी सीमा पर प्रतिवादी का खसरा न. 184 का रकबा पड़ता है प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार खसरा न. 184/4 में 0.544 हैक व खसरा न. 184/5 में 2.732 हैक. रकबा प्रतिवादी का आराजीकाश्त बाद का रकबा था जिसके खातेदारी अधिकार प्रतिवादी न. 1 के नाम जारी होने पर इन्तकाल न. 438 दिनाक 25.02.2019 को यह रकबा प्रतिवादी न. 1 के नाम खातेदारी हो चुका है प्रतिवादी न. 1 के ब्यानात् एंव दोनो पक्षो के गवाहो के आधार पर नत्थूराम व कालूराम का रकबा चिपता है तथा खसरा न. 181 में 11.050 हैक. रकबा जो वादी व कमलेश कुमार वगैरा की खातेदारी है इसके अलावा खसरा न. 181 मे 8.165 हैक. रकबा सावित्री वगैरा की खातेदारी भी है। वादी के रकबा पर प्रतिवादी का अतिकमण हो पत्रावली में कोई साक्ष्य नही है। इसलिये इस तनकी का निर्णय खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी न. 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। उक्त तनकी का निर्णय तनकी नं. 3 के अनुसार ही प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी न. 5 :– इस तनकी के निर्णय में हम वाद खर्च उभयपक्ष अपना – अपना वहन करने का आदेश देना उचित समझते है।

तनकी न. 6 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है वादी का खसरा न. 181 का 0.622 हैक. रकबा कभी अवाप्त हो गया हो, का साक्ष्य भी प्रतिवादी ने प्रस्तुत नही किया है इसलिये इस तनकी को निर्णय भी खिलाफ प्रतिवादी किया जाता है।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

तनकी न. 7 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी न. 1 पर ही प्रतिवादी न. 1 द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति के अनुसार प्रतिवादी न. 1 रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 171/2 में 1.328 हैक. व खसरा न. 171/5 के 1.430 हैक. व खसरा न. 184/4 के 0.544 हैक. व खसरा न. 184/5 में 2.732 हैक. रकबा का खातेदार कृषक है तथा प्रतिवादी न. 1 ने अपने खातेदारी के सम्बंध में जमाबन्दी के साथ साथ खसरा गिरदावरी भी पेश की है इस प्रकार प्रतिवादी न. 1 अपने खातेदारी रकबा पर निर्वाद रूप से काबिज है तथा वह वादी के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:47:07 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 5 पर

इस प्रकार दावा में तनकी न. 2 व 3 वादी साबित नही कर पाया है तथा तनकी न. 4 ता 7 प्रतिवादी ने पूर्णतया साबित कर दी है तनकीयात के निर्णयो के अनुसार प्रतिवादी न. 1 का वादी के रकबा पर अतिक्रमण नही पाया जाता है तथा वादी का संयुक्त खाता में खसरा न. 181 में रकबा तरमीम है ऐसा साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया इसलिये तनकीयात के निर्णयो के अनुसार वादी अपना वाद साबित नही कर पाया है। दावा खारिज किया जाना उचित है तथा प्रतिवादी न. 1 अपने नाम के रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 171/2 में 1.328 हैक. व खसरा न. 171/5 में 1.430 हैक. व खसरा न. 184/4 में 0.544 हैक. व खसरा न. 184/5 में 2.732 हैक. इस प्रकार कुल 6.034 हैक. रकबा का खातेदार है इसलिये वादी के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित है कि वो प्रतिवादी के खातेदारी रकबा में दखल ना करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साक्ष्यो से साबित ना होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर वादी को पाबन्ध किया जाता है कि वो प्रतिवादी न. 1 के नाम के रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 171/2 में 1.328 हैक. व खसरा न. 171/5 में 1.430 हैक. व खसरा न. 184/4 में 0.544 हैक. व खसरा न. 184/5 में 2.732 हैक. इस प्रकार कुल 6.034 हैक. रकबा में किसी तरह की दखलदाजी ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करवावे। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार हो दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:47:07 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.कालूराम पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगानगर।

– वादी

बनाम

1. नत्थू वल्द लूणा जाति जाट निवासी चक 13 एसपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगानगर।
2. दलूराम पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगनगर।
3. रेशमी देवी } पुत्रिया श्री मोमनराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था
4. गुड्डीदेवी } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. प्रबंधक, स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–183 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 268 वर्ष 2012 (RCMS 2012/00005) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री सुरेन्द्र सुथार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री शिशपाल शर्मा एवं राजपैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादी साक्ष्यो से साबित ना होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर वादी को पाबन्ध किया जाता है कि वो प्रतिवादी न. 1 के नाम के रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 171/2 में 1.328 हैक. व खसरा न. 171/5 में 1.430 हैक. व खसरा न. 184/4 में 0.544 हैक. व खसरा न. 184/5 में 2.732 हैक. इस प्रकार कुल 6.034 हैक. रकबा में किसी तरह की दखलदाजी ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करवावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x.....फस्दों की पालना..... x....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 09.10.2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:47:07 IST
Reason: SelfAttested